भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1920

11 मार्च, 2025 को उत्तरार्थ

विषय : स्वदेशी कृषि पद्धतियों के माध्यम से सतत विकास लक्ष्य प्राप्त करना

1920. श्री आदित्य यादवः

क्या **कृषि और किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार के ध्यान में लाया गया है कि जापान और दक्षिण कोरिया के सफल मॉडल, सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को प्राप्त करने के साथ-साथ खाद्य सुरक्षा को साकार करने के लिए स्वदेशी कृषि पद्धतियों को एकीकृत करने और अनुकूल फसल किस्मों और प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लाभों को प्रदर्शित करते हैं; और

(ख) यदि हां, तो देश भर में स्वदेशी कृषि पद्धतियों को एकीकृत करने और अनुकूल फसल किस्मों और प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लिए सरकार द्वारा उठाए जाने वाले प्रस्तावित कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) एवं (ख): सरकार स्वदेशी कृषि पद्धतियों को एकीकृत करने और खाद्य सुरक्षा को साकार करने हेतु सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को प्राप्त करने के लिए अनुकूल फसल किस्मों और प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लाभों के बारे में जानती है, तथापि, यह विशेष रूप से जापान और दक्षिण कोरिया के मॉडल से संबंधित नहीं है। राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना (एनएपीसीसी) देश को जलवायु परिवर्तन के अनुकूल बनाने और पारिस्थितिक सतता को बढ़ाने में सक्षम बनाने के लिए एक व्यापक नीतिगत संरचना प्रदान करती है। एनएपीसीसी के तहत राष्ट्रीय मिशनों में से एक राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (एनएमएसए) है, जो कृषि को जलवायु परिवर्तन के अनुरूप अधिक अनुकूल बनाने के लिए कार्यनीतियों को क्रियान्वित करता है। प्रतिकूल जलवायु स्थितियों से निपटने के लिए एनएमएसए के तहत कई योजनाएं भी शुरू की गई हैं। प्रति बूंद अधिक फसल (पीडीएमसी) योजना, सूक्ष्म सिंचाई प्रौद्योगिकीयों अर्थात् ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली के माध्यम से खेत स्तर पर जल उपयोग दक्षता को बढ़ाता है। वर्षा सिंचित क्षेत्र विकास उत्पादकता बढ़ाने और जलवायु परिवर्तनशीलता से जुड़े जोखिमों को कम करने के लिए एकीकृत कृषि पद्धति पर केंद्रित है। मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता योजना, मृदा

स्वास्थ्य एवं इसकी उत्पादकता में सुधार के लिए जैविक खादों एवं जैव-उर्वरकों के साथ-साथ द्वितीयक एवं सूक्ष्म पोषक तत्वों सहित रासायनिक उर्वरकों के विवेकपूर्ण उपयोग के माध्यम से एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन को बढ़ावा देने में राज्यों की सहायता करती है। समेकित बागवानी, विकास मिशन कृषि वानिकी और राष्ट्रीय बांस मिशन भी कृषि में जलवायु अनुकूलता को बढ़ावा देते हैं। इसके अलावा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना मौसम सूचकांक आधारित पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना के साथ-साथ अप्रत्याशित प्राकृतिक आपदाओं से उत्पन्न फसल हानि/क्षति से पीड़ित किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करके फसल विफलता के विरुद्ध एक व्यापक बीमा कवर प्रदान करती है।

जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का समाधान करने के लिए, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के तहत राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रणाली (एनआरएस) ने पिछले 10 वर्षों में 2900 किस्में जारी की हैं, जिनमें से 2661 किस्में जैविक और/या अजैविक तनावों के प्रति सहनशील हैं। आईसीएआर की प्रमुख नेटवर्क परियोजना, जलवायु अनुकूल कृषि में राष्ट्रीय नवाचार (एनआईसीआरए) फसलों, पशुधन, बागवानी और मत्स्य पालन सहित कृषि पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव पर अध्ययन करती है, साथ ही जलवायु अनुकूल प्रौद्योगिकियों का विकास और प्रचार करती है। एनआईसीआरए परियोजना कृषि में जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाती है। जलवायु अनुकूल प्रौद्योगिकीयों को व्यापक रूप से स्वीकृति के लिए जलवायु परिवर्तन के विभिन्न पहलुओं पर किसानों को शिक्षित करने हेतु क्षमता वर्धन कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।

*****